

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(116)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/97/869

दिनांक : 23-1-19

**आदेश**

राजस्थान नगर पालिका सेवा के निम्नांकित अधिकारी उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 3 में अंकित जन्म दिनांक के आधार पर कॉलम संख्या 4 में अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने जा रहे हैं।

अतः निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के उप नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि से सेवानिवृत्त माना जावेगा।

उक्त अधिकारी अपने पद का कार्यभार पदस्थापन सेवा निवृत्त तिथि के समय निकटतम वरिष्ठतम राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारी को संभलाकर अनुपालना रिपोर्ट भेजेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इनकी सेवापुस्तिका पूर्ण करते हुए बकाया लेनदारियों की इनके सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति से पूर्व ही वसूली की कार्यवाही की जावे।

क्र.सं.	नाम अधिकारी व वर्तमान पदस्थापित नगर निकाय	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री भवंर लाल सोनी, अधिशाषी अधिकारी-तृतीय, नगर परिषद, चुरु	09.05.1959	09.05.2019	31.05.2019
2.	श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशाषी अधिकारी-तृतीय, नगर पालिका, पदमपुर	07.05.1959	07.05.2019	31.05.2019
3.	श्री भोमा राम, आयुक्त हाल उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर	17.06.1959	17.06.2019	30.06.2019
4.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय हाल निलम्बित	08.07.1959	08.07.2019	31.07.2019
5.	श्री कमल किशोर सोनी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर परिषद, नागौर	01.09.1959	01.09.2019	31.08.2019
6.	श्री रमेश चन्द, राजस्व अधिकारी-प्रथम, नगर परिषद, अलवर	14.09.1959	14.09.2019	30.09.2019
7.	श्री मोहम्मद नसीम शेख, आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़	17.10.1959	17.10.2019	31.10.2019
8.	श्री पृथ्वी राज जाखड, अधिशाषी अधिकारी-तृतीय, नगर पालिका, भादरा	14.10.1959	14.10.2019	31.10.2019
9.	श्री अशोक कुमार शर्मा, अग्नि शमन अधिकारी, नगर परिषद, हनुमानगढ़	09.02.1960	09.02.2020	29.02.2020

उपरोक्त अधिकारियों की सेवा निवृत्ति तिथि से पूर्व किसी भी प्रकार की ए.सी.बी. जांच/विभागीय जांच अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 व 17 अंतिम निर्णय नहीं होने तथा यथावत विचाराधीन रखते हुए ही सेवानिवृत्ति मानी जायेगी एवं किसी भी प्रकार की वसूल व दण्डनीय राशि जो उठाई गई हो, समायोजन नहीं कराये जाने पर नियमानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति अथवा पेंशन ग्रेच्यूटी इत्यादि राशि से वसूल/काटी जानी योग्य होगी।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, निदेशालय।
04. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा/पेंशन अनुभाग) निदेशालय, जयपुर।
05. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
06. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी की प्रथम नियुक्ति से अब तक के दौरान आपके क्षेत्राधिकार की नगर निकाय में यदि किसी प्रकार की अग्रिम राशि ली गई हो एवं उसका समायोजन अभी तक नहीं कराया गया हो, किसी जांच में निकाय को हानि पहुंचाई गई हो, जिसकी वसूली की जानी है इस संदर्भ में प्रथम दृष्टया सेवा पुस्तिका मंगवाई जाकर दण्डादेश छुपाया गया हो तो पदस्थापित रहे निकायों को पत्र भेजकर सूचना प्राप्त कर कर ली जावे एव उनके वेतन से काटी गई राशि, जीपीएफ, ग्रेच्युटी एवं बकाया वेतन के संदर्भ में शीघ्र नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही का जावे।
07. प्रभारी अधिकारी (आरएमएस जांच)/सहायक निदेशक सतर्कता, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच एवं दण्डादेश हानि के संदर्भ में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावे।
08. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
09. संबंधित श्री.....पद.....नगर निगम/परिषद/पालिका .....को भेजकर लेख है कि सेवा पुस्तिका में अविलम्ब सम्पूर्ण पूर्ति कराई जाकर भिजवाई जावे एवं आप द्वारा पदस्थापन के दौरान किसी भी की अग्रिम राशि/बकाया राशि का समायोजन नहीं कराया हो तो शीघ्र समायोजन करावे।
10. निदेशक पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग निदेशालय।
13. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक